\

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28( )परावि/प्रशा.2/ग्रा.से.भर्ती/पार्ट/2016/4322 जयपुर,दिनांकः17.11.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् – समस्त।

विषयः ग्राम सेवक सीधी भर्ती, 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा ग्राम सेवक सीधी भर्ती, 2016 में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद हेतु सफल रहे अभ्यर्थियों की प्रथम सूची उपलब्ध करवाई गई है। अभ्यर्थियों की मैरिट एवं उनकी प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन कर दिया गया है। सम्पूर्ण जिला आवंटन का विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी जिलों को उनके जिले को आवंटित पात्र अभ्यर्थियों की सूचियां एवं उनके फार्म की प्रतियां अलग से भिजवाई जा रही है। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे समस्त आगामी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे।

चयन एवं पंचायत समिति आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सभी जिलों में जिला स्थापना समिति की बैठक 20 अथवा 21 नवम्बर, 2017 को आवश्यक रूप से आयोजित किया जाना समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर आवश्यक रूप से 25 नवम्बर, 2017 तक पंचायत समितियों की प्रशासन एवं स्थापना समितियों की बैठक कर नियुक्ति/पदस्थापन बाबत समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर ली जायें।

पंचायत समिति आवंटन करते समय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का यह दायित्व रहेगा कि वे नव चयनित अभ्यर्थियों को पंचायत समिति आवंटन इस प्रकार करें कि अगर जिले में फिर भी कुछ ग्राम सेवक पद पर रिक्तियां रहती है तो वे जिले की समस्त पंचायत समितियों में **अनिवार्य रूप से समानुपातिक** रहें। अर्थात् अगर कुछ पंचायत समितियों में रिक्तियां अत्यधिक है तो उनमें आवश्यकतानुसार अधिक कार्मिकों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जावे तथा अन्तिम रूप से जिले की समस्त पंचायत समितियों में रिक्तियों का प्रतिशत समान बचना चाहिए। **साथ ही नव चयनित कार्मिकों के पदस्थापन करते समय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP), डांग क्षेत्रीय विकास योजना, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना एवं मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल योजना में पड़ने वाली पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में शत प्रतिशत रिक्तियों को सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर भरा जायेगा।** इसी प्रकार विकास अधिकारियों द्वारा भी ग्राम पंचायत आवंटन के समय ऊपर वर्णित समस्त क्षेत्रों में रिक्तियों को प्राथमिकता से एवं शत प्रतिशत भरा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक भी रिक्ति न रहे। शेष क्षेत्रों में रिक्तियों का अनुपात एक जिले की समस्त पंचायत समितियों के मध्य समानुपातिक होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन नियुक्ति दी जायेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान नियत मासिक पारिश्रमिक राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जायेगा एवं अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संदत्त होगी।

दो वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पद पर सेवाऐं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव सीधी भर्ती, 2016 में अन्तिम रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थियों का चयन एवं पदस्थापन याचिका सं. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 8982/2017, याचिका सं. एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 10296/2017, याचिका सं. एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 9696/2017 के अध्यधीन रहेगा। इस आशय का नोट इनके पदस्थापन आदेश में अंकित किया जावे।

17/X1

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रशिक्षण), पंचायती राज मुख्यालय।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. शासन उप सचिव(विधि), पंचायती राज विभाग।
9. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

D:\ACJS_N\Letters A2.docx

Scanned by CamScanner